

**झारखण्ड रेशम तकनीकी विकास संस्थान(पुराना नाम तसर संस्थान) चाईबासा, प0 सिंहभूम
के सत्र 2012-2013 के एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स के प्रशिक्षण में राज्य से चयन हेतु
आवेदन**

1. प्रशिक्षण हेतु ट्रेडवार कुल स्थान एवं अन्य विवरण :

क्र0	प्रशिक्षण का ट्रेड	कुल सीटें	अनु0जाति	अ0ज0जाति	अत्यन्त पिछड़ा	पिछड़ा	सामान्य जाति
1	सेरीकल्चर	25	03	08	04	03	07
2	रेशम बुनाई	10	01	03	02	01	03
3	रेशम रंगाई छपाई	10	01	03	02	01	03
कुल -		45	05	14	08	05	13

- प्रशिक्षण की अवधि - एक वर्ष
- नामांकन के लिए शैक्षणिक योग्यता- सभी संकाय (ट्रेड) के लिए माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
- उम्र 01.01.2012 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में 5(पांच) वर्ष की छुट दी जाएगी।
- आरक्षण- कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प सं0 3884 दिनांक 05.11.2001 के अनुसार होगा।
- शुल्क एवं छात्रवृत्ति - प्रशिक्षणार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। चयनित प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों को सरकार की स्वीकृति के पश्चात् प्रशिक्षण अवधि में रू0 1000/- (एक हजार) मात्र प्रतिमाह छात्रवृत्ति उपस्थिति के आधार पर दी जाएगी।
- आवेदन पत्र - निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 04.05.2012 के 5.00 बजे अपराह्न तक झारखण्ड रेशम तकनीकी विकास संस्थान, चाईबासा (प0सि0) के कार्यालय में पहुंचना आवश्यक है।
- साक्षात्कार की तिथि एवं स्थान- ट्रेडवार साक्षात्कार की तिथि एवं स्थान निम्नवत होगा-

क्र0	ट्रेड/संकाय	साक्षात्कार की तिथि	साक्षात्कार का स्थल
1	सेरीकल्चर	30.05.12, 10.00 AM बजे से	झारखण्ड रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा (प0सिंहभूम)
2	रेशम बुनाई	31.05.12, 10.00 AM बजे से	
3	रेशम रंगाई छपाई		

साक्षात्कार तिथि एवं स्थल में परिवर्तन आदि की सूचना डाक से दी जाएगी। आवेदक पाँच रू0 के डाक टिकट के साथ अपना पता लिखा हुआ लिफाफा आवेदन के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार में आने-जाने का किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा। विलम्ब से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार में ससमय सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ भाग लेना आवश्यक है।


- चयन प्रक्रिया- प्रशिक्षणार्थियों का चयन साक्षात्कार समिति की अनुशंसा के आलोक में किया जाएगा।
- यह प्रशिक्षण कार्य स्वरोजगार के लिए है।
- कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्र आवेदन न करें।
- प्रशिक्षण हेतु, ट्रेड का निर्धारण आवेदक की रुचि तथा चयन सूचि के आधार पर चयन समिति के द्वारा किया जाएगा।
- आवेदन पत्र के साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदकों को 25 रू0 का बैंक ड्राफ्ट तथा अन्य सभी कोटि के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ 50 रू0 का बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। बैंक ड्राफ्ट प्राचार्य, झारखण्ड रेशम तकनीकी विकास संस्थान, चाईबासा, प0. सिंहभूम के पदनाम से चाईबासा में भुगतान होगा।
- अपूर्ण आवेदन को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण हेतु चयनित उम्मीदवारों का नामांकन प्रारम्भ की तिथि 15.06.2012 एवं नामांकन की अंतिम तिथि 24.06.2012 होगी। सत्र पहली जुलाई 2012 से आरम्भ होगा।

निदेशक

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प

**झारखण्ड रेशम तकनीकी विकास संस्थान (पुराना नाम तसर संस्थान) चाईबासा,
प0 सिंहभूम के सत्र 2012-13 में नामांकन हेतु आवेदन पत्र**

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता/अभिभावक का नाम :-
3. स्थायी पता :-
4. पत्राचार का पता एवं दूरभाष :-
दूरभाष नंबर अंकित करें
5. जन्म तिथि :-
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति :-
अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग
प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
7. आवासीय प्रमाण पत्र (छायाप्रति संलग्न करें) :-
8. शैक्षणिक योग्यता -मैट्रिक एवं उससे आगे :-
(छायाप्रति संलग्न करें)



क्र0	परीक्षा का नाम	बोर्ड/यूनिवर्सिटी का नाम	विषय	प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	श्रेणी

9. प्रशिक्षण का ट्रेड (1) (2)
(3)

मैंयह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर दी गई सूचना मेरी जानकारी में सही है। यदि भविष्य में उपरोक्त सूचना गलत पायी गई अथवा इसमें विभिन्नता पायी गई तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊँगा/होऊँगी तथा इसके लिए मुझपर कानूनी कारवाई की जा सकती है। मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि प्रशिक्षणोपरांत रेशम उत्पादन में स्वरोजगारित होऊँगा/होऊँगी।


आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :-

दिनांक:-

नोट :- आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

- (1) मैट्रिक का प्रमाण पत्र/एडमिट कार्ड तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
- (2) विद्यालय/महाविद्यालय का परित्याग प्रमाण पत्र।
- (3) जाति प्रमाण पत्र (सामान्य वर्ग को छोड़कर)।
- (4) अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो।
- (5) झारखण्ड राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र।


निदेशक

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प